.04.23

उभय पक्ष अनुपस्थित।
पुनः अभियोजन अधिकारी द्वारा आवेदन-
दिया गया कि अभी गवाह अनुपस्थित—
सुलह हो गया है, जिसमें कहा गया है कि
अब कोई विवाद नहीं रहा। वाद को
समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।
आदेशार्थ।

26.04

आदेश

प्रस्तुत वाद का संधारण आवेदक नागू प्रसा
साकिन ग्राम चाचा के आवेदन के आलोक
में अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के पत्रांक
1126/विधि दिनांक 27.9.22 के आलोक में
किया गया है।
संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत
सुनवाई की गई।
प्रथम पक्ष द्वारा अपने आवेदन में उ
किया गया है कि सभी शर्तों को स्वीकृत
कर लिया गया है, जिसे खत्म करने का
अनुरोध किया गया है।
मेरे द्वारा भी पुलिस अधिकारी, अं
अमीन एवं संबंधित उप निरीक्षक के जांच

Scanned with OKEN Scanner

स्थल निरीक्षण किया गया। उपरोक्त ग्रामीणों द्वारा भी रोड बनाने में सहमति व्यक्त की गयी।

आवेदक द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है कि सर्वे रास्ता अतिक्रमण मुक्त हो गया है, रोड बन गया है अब कोई विवाद नहीं है, वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अमीन द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि मापी के पश्चात रोड बना दिया गया है उस रोड में अतिक्रमण नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सर्वे रास्ता में रोड बन गया है उस रोड में अतिक्रमण नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

26.04.25
अंचल अधिकारी
कुंडा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.06.13 16:29:06 +05:30
Location: 192.168.110.72

Scanned with OKEN Scanner